सत्यमेव जयते

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण/ SEEPZ SEZ AUTHORITY,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294770/28294750, Fax: 022-28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

******

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/टीपी/2006-07/वॉल्यू-III दिनांक 22 नवंबर, 2019

परिपत्र संख्या 06/2019

विषयः- सीप्ज़-सेज़ में यूनिट स्थापित करने के लिए दीर्घ-अवधि के आधार पर भवनों/भू-खंडों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

परिसर सरेंडर करने के इच्छुक यूनिटधारकों से आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में दिनांक 27.5.2013 की बहिर्गमन नीति (एग्ज़िट पॉलिसी) तथा दिनांक 06.02.2014 के आशोधित बहिर्गमन नीति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे भवन/भू-खंड सीप्ज़-सेज़ में रत्न एवं आभूषण/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर/कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टरों में यूनिट स्थापित करने के इच्छुक सुयोग्य/पात्र उद्यमियों को आबंटित किए जा सके तथा जो सेज़ अधिनियम/सेज़ नियमावली का अनुपालन करने के इच्छुक हों। प्राधिकरण की 34 वीं बैठक में उक्त नीति (पॉलिसी) के संबंध में कतिपय संशोधन अनुमोदित किए गए थे जिसका कार्यवृत्त वेबसाइट पर अपलोड है। उक्त संशोधित बहिर्गमन नीति दिनांक 11.5.2018 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। चूंकि आज की तारीख तक उक्त नीति के संबंध में मंत्रालय द्वारा किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है, अतः उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थान/गाला अंतरण से संबंधित उक्त बहिर्गमन नीति वैध है। सेज़ नियमावली, 2006 के नियम 49(1) तथा नियम 74(5) के अनुसार बहिर्गमन प्रक्रिया में मूल्यह्रास की अनुमति दी जाएगी।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि उक्त नीति के अनुसार इच्छुक यूनिट सेज़ स्कीम से बहिर्गमन कर सकते हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिसर/स्थान सरेंडर कर सकते हैं। सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण ऐसे यूनिटों को आरक्षित कीमत देगा तथा निर्यात, निवेश, रोजगार से संबंधित अनुमानों के विभिन्न मानदंडों, बकाया देयों यदि कोई हो तथा वाद से संबंधित विभिन्न मानदंडों की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त आगंता उद्यमी द्वारा प्रशासनिक प्रभार के रूप में प्राधिकरण को आरक्षित कीमत के अतिरिक्त विभेदक राशि के 10% की दर से क्षतिपूर्ति की अदायगी भी करनी होगी। विभेदक़ राशि से तात्पर्य है प्रारंभिक आबंटन दर तथा बोली में प्राप्त कीमत के बीच का अंतर।

मौजूदा यूनिट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा उन्हें उपर्युक्त मानदंडों एवं पिछले निष्पादन (क्रेडेंशियल) के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

सुयोग्य एवं पात्र उद्यमियों का चयन किए जाने के पश्चात उन्हें सेज़ नियमावली/अधिनियम के अनुसार अनुमोदन पत्र जारी किए जाने हेतु यूनिट अनुमोदन समिति को आवेदन करना होगा।

सभी यूनिटधारक जो सेज़ स्कीम से बहिर्गमन करना चाहते हों, से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बहिर्गमन नीति के अनुसार इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

(चन्द्रपाल सिंह चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सचिव,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

1. सभी यूनिटधारक, सीप्ज़-सेज़